कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), जहानाबाद
जिला– जहानाबाद

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के जनवरी 2012 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 314/17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14674/105 **दिनांक–** 14/06/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जहानाबाद

तनवीर हसन 14/06/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 314/17–18
भाग– I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद
2	लेखा की अवधि	जनवरी 2012 से मार्च 2017 तक
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	निरीक्षित कार्यालय की जनवरी 2012 से मार्च 2017 तक के लेखाओं के नमूना जाँच की गई। उक्त अवधि में माह जनवरी 2015 एवं जुलाई 2016 का विस्तृत जाँच के कम में आहरण की गई राशियों का सत्यापन बैंक पास बुक से किया गया।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	11.04.2017 से 22.04.2017 तक
5	निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम	श्री योगेन्द्र राम, कार्यपालक अभियंता
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री राजेश शाही, स0ले0प0अ0 2. श्री राजीव रंजन–III, स0ले0प0अ0 3. श्री सुनिल पासवान, व0ले0प0
7	पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, व0ले0प0अ0
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	महालेखाकार(ले.प.), बिहार, पटना का प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन
09	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श हुआ	हाँ (दिनांक 22.04.2017 को), आपत्तिवार लेखापरीक्षा में उठाई गयी आपत्तियो पर विचार– विमर्श हुआ।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षत इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग– II

खण्ड–क

कंडिका (1) नगर परिषद के प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य का mid way closing के कारण निष्फल व्यय रू. 41.72 लाख

योजना सं0 :– 01 SBD / 16 –17

प्रशासनिक स्वीकृति :–

एकरारनामा की राशि :–	23903704/–
अभिकर्ता का नाम :–	श्री विकास कुमार सिंह
कार्य प्रारम्भ की तिथि :–	30.04.16
कार्य पूर्ण की तिथिः–	29.10.17
प्राप्त आवंटन :–	23968419/–
कार्य पर किया गया व्यय :–	41,72,778/–
कार्य की भौतिक स्थिति :–	अपूर्ण

भुगतान

विपत्र	विपत्र राशि
प्रथम चालू विपत्र	2469660/–
द्वितीय चालू विपत्र	1691851/–
कुल राशि :–	41,61,511/–

जिला शहरी विकास अभिकरण जहानाबाद के लेखा के नमूना जॉचकम में पाया गया कि जहानाबाद नगर परिषद प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पंत्राक 53 दिनांक 15.09.14 के आलोक मे 311.29 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके द्वारा निर्माण हेतु E Tendering पद्धति नगर विकास एवं आवास विभाग योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01/14–15 के ग्रुप सं0 10 के कार्य की निविदा के तकनीकी बीड मे सफल निविदाकार श्री विकास कुमार सिंह को उद्धरित दर (परिमाण विपत्र के अनुसूचित दर) की राशि 23968419 रु0 से 0.27 प्रतिशत कम दर पर जिसकी कुल राशि 23903704 रु मात्र पर कार्य अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 46 दिनांक 08.11.15 के आलोक में आवंटित किया गया। तदनुरुप कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण के पत्रांक 14 दिनांक 10.01.15 के द्वारा एकरारनामा करने हेतु कार्यावंटन आदेश दिया गया लेकिन नगर परिषद द्वारा जो जमीन चिन्हित की गई थी वह अतिकमित एवं नक्शा के अनुसार समुचित नहीं थी। संबधित कनीय अभियंता एव संवेदक के द्वारा दिनांक 09.04.15 को सूचित किया गया कि दरधा नदी के किनारे चिन्हित जमीन भी श्री महेश प्रसाद की रैयती जमीन थी। पुनः 28.02.15 को बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा पूर्व के चिन्हित जमीन वार्ड नं. 18 नया टोला में स्थित के बदले धोसी रोड वार्ड नं. 31 के बगल मे अवस्थित जमीन पर उक्त भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी तथा अंत में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के पंत्राक 351 मु. दिनांक 05.04.16 के द्वारा खाता सं. 72 प्लाट सं. 652 मौजा अलगना थाना 390, जो नगर परिषद की जमीन थी, पर उक्त प्रशासनिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी इसके आलोक संवेदक द्वारा दिनांक 25.04.16 को एकरारनामा किया गया।

एकरारनामा के आलोक में लेखा परीक्षा की तिथि (अप्रैल/2017) तक रू0 41,72,778/– के समतुल्य भवन निर्माण किया गया। माह जुलाई 2016 तक प्रथम तल का सेटरिंग का कार्य पूरा हो गया था छड़ बॉधने का कार्य प्रारम्भ हो गया था तभी दिनांक 02.08.16 को जिला पदाधिकारी द्वारा कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और अभी तक कार्य बंद ही रहा। जिला पदाधिकारी के पंत्राक 1347

दिनांक 03.08.16 के द्वारा प्रधान सचिव नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग को कार्य की प्रगति प्रतिवेदित किया गया। कार्य बंद करने का कारण संचिका में उल्लेखित नहीं था।

कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण के पंत्राक 472 दिनांक 30.12.16 के द्वारा उक्त कार्य को दूसरे स्थल पर कराने हेतु कुल एकरारनामा की राशि 23968419/– से बढकर वर्तमान राशि रू0 31701731/– मात्र होने की सूचना दी गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के पंत्राक 977 दिनांक 14.02.17 द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि "उक्त भवन निर्माण मे किए गए अधूरे कार्य को छोड़कर दूसरे स्थल पर कार्य कराया जाय। और जहाँ तक पुराने स्थल पर निर्माणाधीन भवन में आगे कार्य कराने का प्रश्न है, इसके लिए सरकार के स्तर से कोई राशि नहीं दी जाएगी"। स्पष्टतः मौजा अलगना पर निर्माणाधीन भवन को छोड़कर दूसरे स्थल पर शेष बची राशि से कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गयी। निश्कर्षतः बिना **Proper feasibility, proper survey** एवं जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए ही अलगना मौजा में स्थित जमीन पर कार्य कराया गया जिसके कारण अधूरे भवन पर 41.72 लाख का व्यय करने के बाद अन्य स्थल पर कार्य करने की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार के **mid way closing of work** के कारण 41.72 लाख का निष्फल व्यय एवं सरकारी राशि की क्षति हुई। निम्नलिखित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

1. संबधित भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं स्वीकृति की प्रति
2. आवटन आदेश की प्रति
3. भवन निर्माण के पुनर्रिक्षित प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की प्रति
4. अर्ध निर्मित भवन का फोटोग्राफ
5. जिला पदाधिकारी द्वारा विभाग को भेजी गई प्रतिवेदन की प्रति
6. विभाग द्वारा पुनर्रिक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा पुनर्रिक्षित तकनीकी स्वीकृति
7. नगर परिषद द्वारा भूमि उपलब्धता संबधित प्रमाण पत्र (NOC)
8. अन्य संबधित अभिलेख

लेखापरीक्षा आपत्ति पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पंत्राक 977 दिनांक 14.02.2017 के आलोक में पूर्व में स्थल अलगना पर निर्माणधीन भवन को बंद कर दिया गया हैं एवं नये स्थल समाहरणालय परिसर में कार्य प्रारम्भ करने का आदेश प्राप्त हुआ हैं। निर्देशानुसार पुर्नरीक्षित प्राक्कलन की तैयारी की जा रही हैं।

जवाब से स्वतः स्पष्ट हैं कि निर्माणाधीन भवन को छोड़ कर दूसरे स्थल पर कार्य करने की स्थिति में अर्ध निर्मित भवन पर किया गया रू0 41.72 लाख का व्यय निष्फल ही रहा। अतः निष्फल व्यय की जवाबदेही तय की जाये।

कंडिका (2) लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण

जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज लिखित एवं मौखिक मॉग के बावजूद भी प्रस्तुत नही किया गया।

1. भंडार पंजी।
2. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
3. अग्रिम पंजी।
4. सेन्टेज चार्ज रजिस्टर।
5. संपत्ति पंजी।
6. मनी रसीद।
7. जमा पंजी।

8. आवंटन/अनुदान पंजी।
9. आई टी इनफोरमेंशन।

उत्तर में बताया गया कि मैन पावर के अभाव में संधारण करना बाकी हैं, भविष्य में इसका संधारण कर लिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त अभिलेखो का संधारण कर अगले लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाये।

भाग– II
खण्ड–ख

कंडिका (3) योजना में अनियमित भुगतान राशि रु 0.91 लाख

कार्य का नाम :– बाल्टी फैक्टरी रोड से शांतिनगर जिन पेड के पास पश्चिम जाने वाली गली में पी.सी.सी. एवं नाली निर्माण

एकरारनामा सं0 :– 2 F 2 / 11–12

संवेदक :– सम्पूर्ण लाल प्रसाद सिंह

परिमाण विपत्र की राशि :– 491101

एकरारिक राशि :– 491101

कार्यारभ की तिथि :– 25.01.12

भुगतान

विपत्र	तिथि	विपत्र राशि
प्रथम चालू विपत्र	18.02.12	156225
द्वितीय चालू विपत्र	22.02.12	88775
तृतीय एवं अंतिम	25.02.12	241022
	कुल राशि :–	₹ 486022

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. अभियंता प्रमुख एवं अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग के पंत्रांक 5502 E दिनांक 18.07.2000 के अनुसार परिमाण विपत्र बिकी हेतु कम से कम सात दिन निर्धारित की जानी थी। लेकिन इस कार्य में मात्र दो दिन ही **Tender Paper** कि बिकी की गयी फलतः मात्र दो निविदादाता ही सम्मिलित हो सके।
2. बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के पंत्राक 904 दिनांक 14.02.2000 के द्वारा मुख्य सचिव के पंत्राक 328 दिनांक 13.07.98 की कंडिका (5) में उपबंधित प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना था जिसके आलोक में बिहार के समस्त विज्ञापन सूचना कार्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से केन्द्रीत रूप में करना था। चूँकि निविदा सूचना व्यापक सर्कुलेशन वाले अखबारों में नहीं किया गया। ऐसी स्थिति मे अधिक से अधिक निविदाकारो के द्वारा निविदा में सम्मिलित नहीं होने के कारण मात्र दो दिन में हीं इस कार्य को परिमाण विपत्र के दर पर कार्य आवंटित किया गया तथा अधिक से अधिक प्रतियोगितात्मक दर उपलब्ध नहीं हो सकी।
3. **Detailed estimate** में **Drain** में **Providing Granular Sub base in one or More layers** की 9.76 m^3 की मात्र निर्धारित की गयी थी जिसको तकनीकी स्वीकृति भी कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 29.10.11 को दी गयी लेकिन **M.B** के अवलोकन से स्पष्ट था कि नाली के **GSB** कार्य को नहीं किया गया जिसके कारण **Drain** निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं विशिष्टि का नहीं किया गया।

4. जिला पदाधिकारी के पंत्राक 1289 दिनांक 27.12.11 के द्वारा योजना कार्यान्वयन की शर्त सं0 11 के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना क कार्याप्रारम्भ से पूर्व/विभिन्न चरण में तथा कार्य समाप्ति पश्चात् डिजिटल फोटोग्राफ/विडियोग्राफ लगाना था लेकिन किसी भी स्तर पर फोटोग्राफ/साईन बोर्ड आदि नहीं लगाए जाने के कारण इस मद में किया गया रू0 2000/– का व्यय अनियमित था तथा कार्य सम्पादित किए जाने की भौतिक सम्पुष्टि नहीं की जा सकती।
5. एकरारनामा की शर्त एवं अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त पथ निर्माण विभाग के पत्राक 5044 दिनांक 03.10.2001 के अनुसार सफल निविदाकारों से Tender राशि का 10 प्रतिशत Security Deposit के रूप में ली जानी थी जिसमें 05 प्रतिशत Tender Execution के समय तथा 05 प्रतिशत विपत्रों की राशि से कटौती की जानी थी लेकिन इस योजना के Tender Execution के समय निर्धारित 05 प्रतिशत SD नहीं ली गयी और विपत्रों की राशि से ही कटौती की गयी। कुल एकरारित राशि ₹ 491101 का 10 प्रतिशत ₹ 49110 SD के रूप में रखी जानी थी लेकिन मात्र 38882 रुपए SD के रूप में कटौती की गयी जिस कारण ₹ (49110 – 38882) = 10228 का अदेय लाभ दिया गया।
6. लघु खनिजों की खरीदारी बिहार लघु खनिज समनुदांन नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधन संवेदक या उप–पट्टाधारी से की जानी है तथा इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र एम0 तथा एन0 में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र एम0 तथा एन0 में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदा0, सहायक निदेशाक या खान निरीक्षक से करवा सके। फार्म एम0 तथा एन0 के शपथ को असत्य पाए जाने या संवेदक द्वारा एम0 तथा एन0 में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एंव अन्य कर की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है। इस कार्य में प्रयुक्त सामग्रियो की मात्रा निम्नलिखित है–

समाग्री	व्यय	रॉयल्टी	राशि
Brick	19167	20 हजार	383
L/Sand	45.591 m3	50/m3	2079
c/Sand	36.322 m3	50/m3	1816
S/chips	56.10 m3	100/m3	5610
			9888

रॉयल्टी ₹ 5105 (1237 + 3868) की कटौती की गयी इस प्रकार 9888 – 5105= ₹ 4783 राजस्व की हानि हुई।
7. कटौती की गयी रॉयल्टी की राशि 5105 रु का Deposit भी नहीं किया गया।
8. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ1–302/2006 श्र0 नि0–865 दिनांक 18.08.08 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को विप्रेषित करने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के

पत्रांक–मु0नि0(पथ)–38(अनु0) पटना दिनांक 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागों में कराये जाने वाले योजनाओं के प्राक्कलन सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1 प्रतिशत की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिए करते हुए विप्रेषण करना है।

इस कार्य में 486022 रु0 का कार्य किया गया लेकिन लेबर सेस की कटौती नहीं किए जाने के कारण रू0 486022 का 01 प्रतिशत 4860 रुपए अधिक भुगतान किया गया।

9. संबधित MB एवं प्राकलन के अवलोकन से स्पष्ट था कि SOR में carriage के रूप में निम्न प्रकार से प्रावधान एवं गणना की गयी थी।

समाग्री	उपयोग की मात्रा	carriage rate	carriage Amount
Brick	19167 No	433.60 per thousand	8310
L/Sand	45.591 m3	151.56/m3	6909
c/Sand	36.322 m3	289.00/m3	10497
S/chips	56.10 m3	685.00/m3	38428
			64144

निविदा आमंत्रण सं0 1/11–12 की कंडिका 15 के अनुसार क्रय की गयी सामग्रियों का Voucher उपस्थिापित किया जाना था ताकि निर्धारित lead को सुनिश्चित किया जा सकें। लेकिन न तो कोई Voucher था और न Form एम एवं एन ही था ऐसी स्थिति में 64144 रु का भाडा/ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए आपति के जवाब में बताया गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

अत: जॉचोपरान्त अद्यतन स्थिति से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका (4) योजना मे अनियमित/अधिक भुगतान रु 0.93 लाख

कार्य का नाम :–एकीकृत कार्य योजना अन्तर्गत महलचक मोड के पास अतिरिक्त पुल का निर्माण

एकरारिक राशि :– 1277418

कार्यारभ की तिथि :– 01.03.13

कार्य पूर्ण की तिथि:– 31.05.13

भुगतान

विपत्र	तिथि	विपत्र राशि
प्रथम चालू विपत्र	08.03.13	160289
द्वितीय चालू विपत्र	13.03.14	159000
तृतीय एवं अंतिम	20.04.15	333805
	कुल राशि :–	₹ 653094

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. अभियंता प्रमुख एवं अपर आयुक्त सह विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग के पंत्राक 5502 E दिनांक 18.07.2000 के अनुसार परिमाण विपत्र बिक्री हेतु कम से कम सात दिन निर्धारित की जानी थी। लेकिन इस कार्य में मात्र दो दिन ही अवधि प्रदान की गयी। दिनांक 05.02.13 को निविदा प्राप्ती

की तिथि थी तथा दिनांक 06.02.13 को निविदा खोलने की तिथि थी। कम अवधि होने के कारण स्थानीय समवेदकों द्वारा ही निविदा समर्पित की गयी तथा एकरारनामा भी प्राक्कलित राशि पर ही करना पड़ा।

2. योजना कार्यान्वयन की शर्त सं0 11 के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना के कार्याप्रारम्भ से पूर्व/विभिन्न चरण में तथा कार्य समाप्ति के पश्चात् डिजिटल फोटोग्राफ/विडियोग्राफ लगाना था लेकिन किसी भी स्तर पर फोटोग्राफ/साईन बोर्ड आदि नहीं लगाए जाने की कारण कार्य सम्पादित किए जाने की भौतिकतता सम्पुष्टि नहीं की जा सकती।

3. लघु खनिजों की खरीदारी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधन संवेदक या उप–पट्टाधारी से की जानी है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र एम0 तथा एन0 में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र एम0 तथा एन0 में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला से संबंधित खनिज विकास पदा0, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। एम0 तथा एन0 के शपथ को असत्य पाए जाने या संवेदक द्वारा एम0 तथा एन0 में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनीज पर देय समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एंव अन्य कर आदी की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है। इस कार्य में प्रयुक्त सामग्रियो की मात्रा निम्नलिखित है–

समाग्री	मात्रा	रॉयल्टी	राशि
Brick	1649	29/ प्रति हजार	48
L/Sand	8.95 m3	50/m3	447
c/Sand	25.46 m3	50/m3	1273
S/chips	50.93 m3	100/m3	5093
			6861

रॉयल्टी ₹ 6755 की कटौती की गयी इस प्रकार 6861 – 6755 = ₹ 106 राजस्व की हानि हुई।

4. संबधित MB एवं प्राकलन के अवलोकन से स्पष्ट था कि SOR में carriage के रूप में निम्न प्रकार से प्रावधान एवं गणना की गयी थी।

1	2	3	4	5	6
सामाग्री	प्रथम एवं द्वितीय चालु विपत्रो में दर्ज मात्रा	तीसरे एवे अंतिम विपत्र में दर्ज मात्रा	ढुलाई रेट	ढुलाई राशि 3 x 4	वास्तिविक ढुलाई राशि 2 x 4
Brick	1649	2641	470.70 प्रति हजार	1243	776
L/Sand	8.95 m3	15.60 m3	100.82/m3	1573	902
c/Sand	25.46 m3	32.18 m3	411.41/m3	13239	10474
S/chips	50.93 m3	60.76 m3	1108/m3	67322	56430
				83374	68582

निविदा आमंत्रण सं0 1/11–12 की कंडिका 15 के अनुसार क्रय की गयी सामग्रियो का Voucher उपस्थापित किया जाना था ताकि निर्धारित मात्रा को सुनिश्चित किया जा सकें। लेकिन न तो कोई Voucher था और न Form एम एवं एन ही था ऐसी स्थिति में ₹ 83377 का भाडा/ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित था।

5. इस संबध में उलेखनीय हैं कि प्रथम एवं द्वितीय विपत्रों में Brick, L/Sand, C/Sand, S/Chips की मात्रा क्रमशः 1649, 8.95 m^3, 25.46 m^3, 50.93 m3 की दर्ज थी। तीसरे अंतिम विपत्र में कोई कार्य की मापी नहीं थी लेकिन Brick, L/Sand, C/Sand, S/Chips की मात्रा क्रमशः 2641, 15.60 m3, 32.18 m3, 60.76 m3 दर्ज थी जो कि निराधार थी ऐसी स्थिति में उक्त विवरणी के अनुसार ₹ 18997 (83377 – 68582) का अधिक भुगतान किया गया।
6. उपरोक्त कार्य के लिए कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.05.13 निर्धारित की गयी थी लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि तक मात्र ₹ 653094 का ही कार्य किया गया था। चार वर्ष बीत जाने के पश्चात् अभी तक कार्य को पूर्ण नही किया गया था। ऐसी स्थिति में संवेदक से एकरारीत राशि ₹ 1277418 का 10 प्रतिशत ₹ 127741 की कटौती की जानी थी लेकिन इस मद में ₹ 49281 का ही समय वृद्धि मद में कटौती की गयी। इस प्रकार ₹ 78460 का अदेय लाभ संवेदक को दिया गया।
7. प्राक्लन के अनुसार आर सी सी नाली का निर्माण किया जाना था लेकिन नाली का निर्माण आंषिक रूप से किया गया 70 फीट लम्बाई में जमीन के अभाव के कारण नाली का निर्माण नही कराया गया ऐसी स्थित में आंशिक निर्माण कार्य होने के कारण ₹ 653094 व्यय किए जाने के बावजूद वांछित लाभ की प्राप्ति नही हो सकी।

उत्तर में बताया गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः जॉचोपरान्त अद्यतन स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका (5) योजनाओं के भुगतान में समय वृद्धि, लेबर सेस की कटौती नहीं एवं रॉयल्टी राशि की कम कटौती रू0 1.84 लाख

<u>(क)</u> योजना का नामः	राजाबाजार रेलवे पुल से (गोपाल शर्मा के घर) से लेकर उटा गुंमटी तक नाला एवं पीसीसी कार्य।
अभिकर्ता का नामः	नवीन कुमार
योजना संख्या	01(F–2)/2011–12
एकरारनामा की राशिः	रू0 16,17,000/–
कार्यादेश की तिथिः	25.01.12
कार्य पूर्ण किये जाने की प्रस्तावित तिथिः	2 माह (24.03.12)
कार्य पूर्ण किए जाने की वास्तविक तिथि–	19.04.12(एम बी पेज–17)

लेखा परीक्षा टिप्पणीः

1. निर्माण कार्यो का विभिन्न स्तरों पर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी तथा जॉंच प्रतिवेदनों के साथ संधारण का प्रमाण नहीं पाया गया।

2. दिशा–निर्देश के आलोक में त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3. समय वृद्धि की राशि की वसूली नहीं रू0 1,61,700/–

योजनाओं के संचिका के नमूना जांच के कम में पाया गया कि योजना में संवेदक को दिनांक– 25.01.12 को कार्य प्रारंभ करके 2 महीने के अंदर (दिनांक 24.03.12 तक) पूर्ण करना था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य को वास्तव में दिनांक 19.04.12 को अर्थात लगभग 26 दिन बाद पूर्ण किया गया। इसमे न ही संवेदक द्वारा समय विस्तार की मांग की गई थी और न ही उपरोक्त शर्त के आलोक में अभिकरण कार्यालय द्वारा क्षति पूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की गई थी। गणना के अनुसार कुल क्षतिपूर्ति राशि रू0 161700/– (1617000 का 10 प्रतिशत) है जो कि संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है।

4. लेबर सेस की कटौती नहीं किये जाने के कारण दायित्व का सृजन ₹ 16170

बिहार सरकार के असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ–1–302/2 प्र0नि0–865 दिनांक– 18.08. 2008 के अनुसार सरकारी विभागों को निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

अभिलेखों के जांच में पाया गया कि उक्त योजना पर कुल ₹ 1617000 का भुगतान किया गया है जिसका एक प्रतिशत अर्थात ₹ 16170 लेबर सेस के रूप में काटा जाना था परन्तु इसकी कटौती नही कर अतिरिक्त दायित्व का सृजन किया गया।

5. रॉयल्टी मद में कम कटौती राशि रू0 6538

समग्री	मात्रा	अंतर दर	अंतर राशि
लोकल बालू	111.19+113.94=225.13	50–22=28 M^3	6304
ईट	33474	29–22=7/हजार	234
कुल			6538

लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपति के जवाब में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उपरोक्त कार्य अनेक कार्य काल का नहीं हैं। फिर भी जाचोंपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी एवं लेखा परीक्षक को सूचित किया जायेगा।

अतः अद्यतन स्थिति से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका (6) योजना कियान्वयन में अनियमित भुगतान राशि रू0 0.84 लाख

योजना का नामः	इरकी महादलित टोला में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण।
अभिकर्ता का नामः	मनोज कुमार
एकरारनामा की राशिः	रू0 6,92,307/–
कार्यादेश की तिथिः	01.03.2013
कार्य पूर्ण किये जाने की अवधिः	3 माह (31.05.13)
वास्तविक भुगतान	678770/–
कार्य पूर्ण किए जाने की वास्तविक तिथि–	25.05.13

अंकेक्षण टिप्पणी–

(क) निविदा प्रकाशन में पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के कारण स्वच्छ प्रतियोगिता का अभाव

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131(ज)(v) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि सामान्यतया निविदा प्रकाशन की तिथि या बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि, जो भी बाद में हो से तीन सप्ताह (21 दिन) की होगी।

योजना संचिका में संलग्न N.I.T. की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा परिमाण–पत्र निर्गत करने की तिथि कार्यालय द्वारा 05.02.13 निर्धारित की गई थी तथा जमा करने की अंतिम तिथि 06.06.13

निर्धारित की गई थी। स्पष्टतः प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु मात्र 1 दिन का समय दिया गया जबकि नियमानुसार न्यूनतम 21 दिनों की अवधि निर्धारित थी। निविदा नियमों के अनुसार निविदा को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी अपेक्षित होती है इसके लिए कई स्तरों से विज्ञापन करवाकर पर्याप्त समय दिया जाता है।

(ख) बगैर गुणवत्ता जांच किए कार्य में भुगतान

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा योजना के संदर्भ में राज्य के सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को निर्देश जारी किया गया था कि योजना कार्य में गुणवत्ता जांच हेतु त्रिस्तरीय जांच प्रणाली की व्यवस्था की गई थी जो इस प्रकार हैः–

प्रथम स्तरः– संवेदक अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य को गुणवत्ता जांच

द्वितीय स्तरः– जिला गुणवत्ता समन्वयक (D.Q.M.) द्वारा

तृतीय स्तरः– राज्य गुणवत्ता समन्वयक (S.Q.M.) द्वारा

संचिका की जांच में पाया गया कि बगैर गुणवता जॉच किए ही भुगतान किया गया जो मार्गदर्शिका में वर्णित नियमों के प्रतिकूल है। उपरोक्त त्रिस्तरीय जांच नही किये जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद होने की संभावना कम बनती है।

(ग) ढुलाई पर अनियमित भुगतान रू0 0.84 लाख

बिहार लघु खनिज समुदांन नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने हेतु एवं लघु खनिज के ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदको से प्रपत्र एम तथा एन तथा चालान की प्रति लिया जाता है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

अभिकरण कार्यालय द्वारा सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान की प्रति लिये बगैर/सत्यापन कराये बिना सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि प्रयुक्त सामाग्रियों की ढुलाई एवं उसका उठाव प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही किया गया है। इससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नही किया जा सकता। इसका अनुपालन नहीं किये जाने से अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है। विवरण निम्न है –

सामग्री	मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू0)	मापी पुस्त का पृष्ठ सं0
स्टोन चिप्स	40.41m^3	1678.60/ m^3	67832	p/42
कोर्स बालू	39.23m^3	404.20/m^3	15857	p/42
योग			83689	

इस प्रकार साक्ष्य के आभाव में लघु खनिज के ढुलाई पर रु0 83689/– का अनियमित भुगतान के अंतर्गत था।

उत्तर में बताया गया कि जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए लेखा परीक्षक को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाय।

कंडिका (7) सर गणेशदत्त नगर युगल बाबू के मकान से शम्भुजी के जमीन होते हुए अलगना नाला तक नाली एवं पी.सी.सी. निर्माण कार्य की समीक्षा– रू 0.70 लाख।

संवेदन का नाम–बैजनाथ कुमार

प्राक्कलित राशि– रू 965736.00

एकरारनामा की राशि (10 प्रतिशत कम)–869162.00

कार्य प्रारंभ की तिथि :– 11.07.2015

कार्य समाप्ति की तिथि :– 10.09.2015

1. <u>खनन सामग्रियों के ढुलाई पर अनियमित भुगतान रू0 70255</u>

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10)के अनुसार कार्यो में व्यवहत खनन समाग्रियों से संबंधित प्रपत्र एम तथा एन एवं चालान संवेदन को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियंता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के बाद ही समाग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

योजना से संबंधित संचिका व मापी पुस्त के जॉच के क्रम में यह पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के ढुलाई मद में बिना प्रपत्र एम.एन. तथा चालान प्रप्त एवं सत्यापन किए ही संवेदनक को कुल रू0 70254.79 का भुगतान किया गया जो नियमों के प्रतिकुल थ। विवरणी निम्न प्रकार है:–

कम सं.0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर प्रति M^3	राशि
1	कोर्स सैण्ड	33.28 M^3	391.78	13038.43
2	स्टोन चिप्स	58.39 M^3	979.90	57216.36
				70254.79

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि ढुलाई पर 70254.79 का भुगतान नियमित नहीं था।

उत्तर में बताया गया कि संबंधित सवेदक से एम और एन फार्म का सत्यापन हेतु भेजा गया हैं।
अतः फॉर्म एन और एम का सत्यापन कर वस्तुस्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका (8) टैबलेट (Apple i-pad) का अनियमित कय रु 0.50 लाख

1. बिहार वित नियमावली, 2005 के नियम 131 घ के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ₹15,000.00 (पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक तथा 1,00,000.00 रु0 (एक लाख रूपये) मात्र तक की खरीदगी विभागाध्यक्ष के निर्णयानुसार समुचित स्तर पर गठित तीन सदस्यों वाली स्थानीन कय समिति की अनुशंसा पर की जायेगी। समिति दर, गुणंवता एवं विशिष्टियों की युक्तिसंगतता निश्चित करने तथा सही आपूर्तिकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी। कयादेश देने हेतु अनुशंसा करने के पहले समिति के सदस्य सामूहिक रूप से निम्नवत् एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगें–

   प्रमाणित किया जाता है कि हमलोग ...., कय समिति के सदस्यगण सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट है कि कय हेतु अनुशंसित सामग्रियॉ निर्धारित विशिष्टियों एवं गुणवता की है तथा वर्तमान बाजार दर पर मूल्यीकृत है और अनुशंसित आपूर्तिकर्ता विश्वासी है एवं संबंधित सामग्रियो की आपूर्ति हेतु सक्षम हैं।

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के लेखाओ की लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जॉच के कम में पाया गया कि कार्यालय को वितीय वर्ष 2014–15 में ई– गवर्नेस योजना के तहत एक टैबलेट के कय हेतु कुल रु0 50000.00 की राशि अवंटित की गयी थी। कार्यालय द्वारा रु 50,000/– का Apple i-pad का कय चेक सं0 18521 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा ग्राफिक्स ट्रेंडर्स, नया टोला पटना से किया गया। आगे जॉचकम में निम्न अनियमिता पाई गईः–

1. प्रावधानानुसार कय समिति का गठन नहीं किया गया।
2. संबंधित कय Invoice में कार्यालय प्रधान (DDO) के अनुमोदन/अनुशंसा (passed for) दर्ज नही था।
3. संबंधित कय invoice में कार्यालय के भडार पंजी में दर्ज करने संबंधित कोई इंद्राज नहीं था। प्रावधानों के विपरीत कय साथ ही टेबलेट का वास्तव में खरीद हुई एवं भौतिक रूप में कार्यालय मे उपलब्ध है, किस तरह से प्रमाणित किया जा सकता है।

उत्तर में बताया गाया कि भंडार पंजी संधारित कर ली जायेगी।

भंडार पंजी का संधारण एवं सत्यापन कर वस्तुस्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका (9) रायल्टी मद में काटी गयी राशि कोषागार में जमा नहीं 06.74 लाख

लधु खनिजों की खरीदारी बिहार लधु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधन संवेदक या उप–पट्टाधारी से की जानी है। इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र एम0 तथा एन0 में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र एम0 तथा एन0 में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला से संबंधित खनिज विकास पदा0, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। एम0 तथा एन0 के शपथ को असत्य पाए जाने या संवेदक द्वारा एम0 तथा एन0 में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लधु खनिज पर देय समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के लेखा नमूना जॉच मे पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को रॉयल्टी मद में काटी गयी राशि ₹ 674076 थी जिसे सरकारी शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। सरकारी आदेश के अनुसार विभिन्न योजनाओ में प्रयुक्त खनिज सामग्रियों का कय पट्टाधारीयों से किया जाना हैं जिनसे विपत्र एम और एन प्राप्त कर ही संवेदकों को भुगतान किया जाना है ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। लेकिन इस कार्यालय में उक्त प्रावधानों के विपरित योजनाओ में खनिज समाग्रियों का उपयोग किया गया और दूसरी तरफ काटी गयी रॉयल्टी ₹ 6.74 लाख की राशि सरकारी खजाने मे भी जमा नही की गयी।

उत्तर में बताया गाया कि वर्ष 2015–16 का एम. तथा एन. में प्राप्त भाउचर एवं शपथ पत्र सत्यापन हेतु खनन विभाग को भेजा गया हैं। इसलिए रायल्टी की राशि अभी तक जमा नहीं किया गया हैं। यथाशीघ्र रायल्टी जमा कर दी जायेगी।

अतः आवश्यक सत्यापन कर यथाशीघ्र रायल्टी की राशि को सरकारी खजाने में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कंडिका (10) वांछित उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं राशि रू0 8.98 लाख

जिला शहरी विकास अभिरकण,जहानाबाद के मासिक प्रगति प्रतिवेदन योजना संचिका के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ योजनाओं का कार्य पूर्ण होने से पहले हीं रोक दिया गया जिसके कारण योजना के उदेश्य की पूर्ति नहीं हो सकी विवरणी निम्न प्रकार है–

क्र0	योजना का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि	विमुक्त राशि	व्यय की गई राशि	वापसी की राशि	भौतिक स्थिति
1	वार्ड नं0–14 सोइया घाट से बाल्टी फैक्ट्री मोड़ तक पी.सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण, जहानाबाद।	24.06.13	23.07.13	1604420.00	991000.00	635575.00	355425.00	अपूर्ण
2	वार्ड न.–29 बेरथु कोठी के बगल गली में नाली एवं गली निर्माण जहानाबाद।	01.03.13	30.04.13	508710.00	314000.00	195823.00	118177.00	अपूर्ण
3	वार्ड नं0–19 शामोचक में अर्जुन शर्मा के मकान तक पी.सी.सी. पथ सह नाला निर्माण कार्य मखदुमपुर जहानाबाद।	23.01.14	22.03.14	372314.00	204350.00	66448.00	137902.00	अपूर्ण

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि एकरारनामे की राशि ₹ 2485444 के विरूद्ध मात्र ₹ 897846 ही व्यय किया गया है जो एकरारनामे की राशि का मात्र 36 प्रतिशत ही कार्य वर्ष 2013–14 में ही समाप्त होनी थी परंतु 3 वर्ष वीत जाने के बाद भी योजनाएँ पूर्ण नहीं की जा सकी और कार्य को बीच में ही रोक दिया गया जिसके कारण योजना के उदेश्यों की पूर्त्ति नहीं हो सकी और लाभुक लाभ से वंचित रहे।

उत्तर में बताया गाया कि उपर्युक्त तीन योजनाओं को दिनांक 17.01.15 को संचालन समिति की बैठक में बंद कर दिया गया है। जिसका पंत्राक 97 दिनांक 06.02.15 हैं। एवं शेष राशि वापस कर दी गयी हैं।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट हैं कि योजनाओ का आंशिक कियान्वयन किये जाने का कारण निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकी।

कंडिका (11) परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना– रु0 16.20 लाख

बिहार वितीय संहिता के नियम 37 एवं 52 के अनुसार सरकार के प्राप्तियो को प्राप्त कर यथाशीघ्र निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान हैं। उनकी अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नही है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उलंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद कार्यालय द्वारा बी.ओ.क्यू. मद में प्राप्त राशि हेतु अलग से कोई संचिका/अभिलेख संधारित नहीं पाया गया। उपलब्ध कराए गए अभिलेखो के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक निविदाओ की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिकी की राशि रु0 1620122/– निविदादाताओ द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे जिला शहरी विकास अभिकरण

कार्यालय द्वारा विभिन्न बैंक में जमा किया गया था। प्रावधानानुसार यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना था। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग पॉच साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्ति के जवाब में बताया गया कि विभागीय मार्ग दर्शन के उपरान्त समुचित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

अतः उक्त राशि को यथाशीघ्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर के लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका (12) श्रम उपकर के रूप मे काटी गई राशि का अवरोधन 08.25 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक भवन एंव अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना द्वारा सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रो से कटौती कर भवन एंव अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड को विप्रेषित करने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–मु0नि0(पथ)–38(अनु0) पटना दिनांक 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागो में कराये जानेवाले योजनाओं के प्राक्कलन सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1 प्रतिशत की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिए करते हुए विप्रेषण करना है।

जिला शहरी विकास अभिकरण जहानाबाद के लेखा के नमूना जॉच में पाया गया कि दिनांक 31.03.17 तक विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में श्रम उपकर के रूप में गत वर्षो में काटी गयी राशि 824837 कार्यालय में ही रखी गयी थी। जबकि उक्त राशि को श्रम आयुक्त बिहार सरकार पटना को उपलब्ध करानी जानी थी, जिसे की उस राशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याण हेतु किया जा सके कार्यालय में राशि को अवरोधित करने के कारण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया।

उत्तर में बताया गया कि राशि संबधित शीर्ष में यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी।

अतः उक्त राशि को यथाशीघ्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर के लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका (13) ब्याज की राशि का योजना मद में व्यय नहीं किया जाना रू0 46.66 लाख।

सरकार के विभिन्न आवंटन आदेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है कि प्राप्त आवंटन पर बैंक में अर्जित ब्याज का उपयोग व व्यय उसी योजना पर किया जाएगा जिसके लिये राशि आवंटित की गयी है तथा इस संबंध में निर्देश सरकार द्वारा समय समय पर जारी भी किया गया है। इसके संदर्भ में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं. 3576 दिनांक 13.07.2015 के द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प सं. 2375 दिनांक 12.05.2008 में उप कंडिका सं. 2.3.3 एवं 2.3.4 को जोड़ा गया है। उप कंडिका 2.3.4 के अनुसार "योजना के अन्तर्गत जिलों को आवंटित राशि के अव्यवहृत पड़े रहने पर उस पर अर्जित ब्याज की राशि, कोई हो तो उसे योजना का ही संसाधन माना जाएगा एवं उसके व्यय हेतु वही प्रावधान लागू होंगे जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत लागू है"।

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के लेखाओं के लेखा परीक्षा के क्रम में जिला नजारत समाहरणालय, जहानाबाद द्वारा जिला षहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के लिए संधारित रोकड़ बही के नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन न कर दिनांक 31.03.

2017 तक योजना मद में प्राप्त अनुदान की राशियों पर बैंक में प्राप्त ब्याज की राशि रू0 4665585 बैकों में अनावश्यक पड़ी हुई थी जिसका लेखा परीक्षा की अवधि तक कोई उपयोग नहीं किया जा सका।

क.स.	बैक का नाम	खाता सं0	सूद की राशि
1	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	72040100228538	1198223
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	593602010004759	425663
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	593602010006137	2667668
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	593602010007354	351464
5	पंजाब नेशनल बैंक	7689000100007462	22567
			4665585

उल्लेखनीय हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सरकार से आंवटित राशियॉ संबधित जिला पदाधिकारी को दिया जाता हैं एवं जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओ कि प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृतियों के आलोक में राशियॉं किस्तो में जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी स्थिति में बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के संबधित प्रावधानों के अनरूप संदाय अधिकारी को प्राप्त ब्याज कि राशि को लौटा देना अपेक्षित था जिससे ब्याज की राशि का उपयोग/उपावंटन जिला के अन्य विकास योजनाओ में किया जा सके। लेकिन कार्यालय द्वारा 46.66 लाख रूपये कि ब्याज की राशि को अवरोधित कर के रखा गया।
आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि यथाशीघ्र राशि लौटा दी जायेगी।

अतः उक्त राशि को यथाशीघ्र सरकार को वापस कर के लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका (14) योजना का संदिग्ध क्रियान्वयन रू0 7.68 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण जहानाबाद के वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन के नमूना जॉच में पाया गया कि कुछ ऐसी योजनाएं है जिसमें एकरारनामे की राशि से कम व्यय किया गया है परंतु योजना को पूर्ण दिखाया गया है। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र0	योजना का नाम	वर्ष	एकरारनामे की राशि	व्यय की गई राशि	व्यय का प्रतिशत	योजना की स्थिति
01	वार्ड नं0–06 में वार्ड पार्षद के घर से उमाकांत शर्मा एवं शाफो के मकान होते हुए इम्बन के मकान तक पी.सी.सी. निर्माण जहानाबाद	2013–14	137111.00	79925.00	58 प्रतिशत	पूर्ण
02	वार्ड नं0–18 महादेव स्थान से सिद्धिगिरी तक 400 फीट में पी.सी.सी. निर्माण मखदुमपुर जहानाबाद।	2014–15	315861.00	182450.00	58 प्रतिशत	पूर्ण
03	पूर्वी उँटा कृष्णा चौधरी के मकान से रामप्रवेश पासवान के मकान तक पी.सी.सी. निर्माण जहानाबाद।	2014–15	256415.00	148150.00	57 प्रतिशत	पूर्ण
04	पुर्वी गांधी मैदान हरिवंश शर्मा के मकान से राम प्रवेश शर्मा पण्डई के मकान तक 400 फीट नाली एवं पी.सी.सी. एवं आंनद शर्मा से निरज विद्यार्थी के घर होते श्री राम के घर तक 400फीट पी.सी.सी.	2014–15	618145.00	357150	57 प्रतिशत	पूर्ण

उपरोक्त टेबल से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में उपरोक्त 04 योजनाओं के लिए एकरारनामे की राशि रू0 1327532.00 थी जबकि योजना पर व्यय राशि रू 767675.00 ही की गई है जो कुल राशि का लगभग 58 प्रतिशत है। एकरारनामे की राशि से काफी कम राशि खर्च कर योजनाओं को पूर्ण दिखाना पूरे कार्य को संदेह के घेरे में डालता है।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपति के जवाब में बताया गया कि भौतिक रूप से पूर्ण हैं परन्तु आवंटन के अभाव में भुगतान बाकी हैं।

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योकि इस संबंध में कोई साक्ष्य/अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

भाग–III
नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
टिप्पणी (1) उपयोगी तथा स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन

बिहार वित नियमावली 2005 के नियम 138 के अनुसार स्थिर परिसमतियों की तालिका (इन्वेट्री) समान्यतया स्थल पर संधारित होगा। स्थिर परिसम्पतियों का सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए तथा सत्यापन से प्राप्त परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई विचलन हो तो उसकी समुचित जॉच तथा उसे लेखा में लाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपयोग्य वस्तुओं का सत्यापन से कोई विचलन प्रकाश में आता हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई हेतु भंडार पंजी में संधारित किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद के लेखाओं के नमूना जॉच क्रम में पाया गया कि इस प्रकार की कोई भी तालिका का संधारण नहीं किया जाता हैं। साथ ही नियमानुसार एक बार भी न तो उपयोग्य वस्तुओं का और न ही स्थिर परिसम्पतियो का भौतिक सत्यापन किया गया।

उत्तर में बताया गाया कि लेखा परीक्षा के आलोक में पंजियों का संधारण कर लेखा परीक्षक को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

इसका संधारण एवं सत्यापन कर अगले लेखा परीक्षा को समस्त प्रस्तुत किया जाये।

–हस्ता0–
(उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)